-1-

28

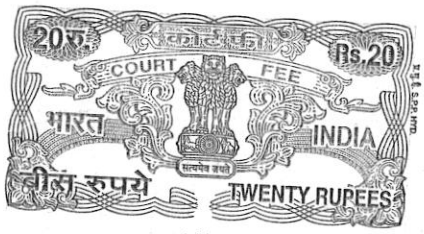

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प सागर

निग. 3507-I-16

जगदीश पिता शंकर लाल चौरसिया
निवासी केरबना तह. बटयागढ़ जिला दमोह
.......आवेदक

//विरूद्ध//

नन्नेलाल पिता काशीराम चौरसिया
निवासी केरबना तह. बटयागढ़ जिला दमोह
.........अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक सम्मानीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निग.924–I/15 में पारित आदेश दिनाँक 05–9–2016 से परिवेदित होकर यह पुनःविलोकन आवेदन निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2015 से परिवेदित होकर निगरानी सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें आवेदक को पक्ष समर्थन का विधिवत अवसर प्रदान नहीं किया गया है सागर कैम्प में दिनांक 30.08.16 को अनावेदक पक्ष की उपस्थिति उपरांत प्रकरण 31.08.16 को विचारण में लिया गया है जिसमें आवेदक की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा 10 दिवस के अंदर लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय की याचना की थी जिसमें सम्मानीय न्यायालय द्वारा मौखिक स्वीकृति उपरांत प्रकरण आदेशार्थ नियत किया था किंतु 10 दिवस के पूर्व ही दिनांक 05.09.16 को प्रकरण का निराकरण आवेदक के लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही किए जाने से यह पुनः विचार याचिका ग्राह्य की जाकर श्रवण योग्य है।

2. यह कि सम्मानीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने के कारण पुनः श्रवण किए जाने योग्य है।

3. यह कि सम्मानीय न्यायालय ने पूर्व पेशी दिनांक में आवेदक को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था किंतु आवेदक द्वारा लिखित

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निगु 3507-एक/16 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-1-17	1— यह पुर्नार्विलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्र0क्र0 924—एक / 2015 में पारित आदेश दिनॉक 05.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—51 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किये गये तथा अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित उन्हें भी सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा कि आवेदक के पिता स्व0 शंकरलाल चौरसिया को मु0जगरानी बहू बेवा अजुद्या प्रसाद चौरसिया ने अपनी भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 4/9,5/53,128/2 एवं 129 रकवा क्रमशः0.324,0.813,1.499,1.356 हे.कुल रकवा 3.942 हे.भूमि विधिवत् रजिस्टर्ड हिबा के जरीये दिनॉक 17.06.1980 को दे दी गयी थी एवं राजस्व रिकार्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया था, तथा उनकी मृत्यु उपरांत समस्त भूमियों पर आवेदक का नाम वारिशान रिकार्ड दर्ज हुआ। आवेदक का यह भी तर्क रहा कि उक्त भूमि के अलावा आवेदक के पिता को रजिस्टर्ड हिबा में एक बाडा जिसकी लंबाई 16.46मीटर एवं चौडाई 13.72मीटर एवं घूरा जिसकी लंबाई 6.86 मीटर एवं चौडाई 2.74 मीटर भूमि भी दी थी जिस पर कब्जा आवेदक का ही शुरू से ही रहा है किंतु अनावेदक आवेदक के घूरा वाली जगह पर कचरा फेंकता था एवं अपना निजि घूरा बताने से विवाद उत्पन्न हो जाने से संहिता की धारा 250 के तहत आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा उभय पक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुये अनावेदक को आवेदक की उक्त भूमि पर से कचरा हटाये जाने का विधिवत् आदेश दिनॉक 02.03.2013 पारित किया गया किंतु प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार के रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश एवं श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर तहसीलदार के आदेश को स्थिर	

क्र.प.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रखा जाकर पुर्नार्विलोकन आवेदन स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 3— अनावेदक अधिवक्ता ने अपना तर्क दिया कि मु0जगरानी ने दिनॉक 18.12.1991 को उसके पक्ष में उपरोक्त घूरा एवं बाडा वसियतनामा में दे दिया था इस कारण से उपरोक्त घूरा पर मैं कचरा फेंकता हूॅ जिस पर आवेदक का कोई हक व हिस्सा न होने से अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा विधिवत् आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी भी श्रीमान् न्यायालय द्वारा भी निरस्त की है अतः प्रस्तुत पुर्नार्विलोकन आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। 4— मैंने आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 05.09.2016 का अवलोकन किया जिसमें यह तथ्य निर्विवाद है कि विवाद मात्र घूरा एवं बाडा का है जिसे आवेदक के पिता को मु0जगरानी बेवा अजुद्या प्रसाद ने दिनॉक़ 17.06.1980 को रजिस्टर्ड हिबा द्वारा दे दी गयी थी एवं जो अनावेदक द्वारा वसियतनामा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है वह वास्तव में 10/—रू0 का स्टाम्प है जो कि इकरारनामा के लिये खरीदा है एवं उक्त वसियतनामा को अनावेदक द्वारा नामांतरण हेतु तहसीलदार के समक्ष कभी प्रस्तुत भी नही किया। जबकि रजिस्टर्ड हिबा के अवलोकन से उपरोक्त विवादित घूरा एवं बाडा आवेदक का ही होना मान्य होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त सागर का एवं इस न्यायालय का आदेश *05.09.16स्थिर रखे जाना उचित न होने से सहमत नहीं हूॅ।* 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुर्नार्विलोकन आवेदन स्वीकार की जाती है तथा इस न्यायालय का आदेश दिनॉक 05.09.16 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी पथरिया का आदेश दिनॉक 27.09.2013 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.03.2015 निरस्त करते हुये नायब तहसीलदार बटियागढ़ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 02.03.2013 स्थिर रखा जाता है। सदस्य	